

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

1. हरभजन पुत्र धनपतराम जाति मेघवाल निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
वादी

बनाम्

1. धनपतराम पुत्र बीरबल जाति मेघवाल निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़


2. आत्माराम पुत्र धनपतराम जाति मेघवाल निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 28/11/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नैण व प्रतिवादी वकील परमजीत सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 10 एम. के. एस. ए के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 63/58 में कुल 3.289 है० आराजी का वादी व प्रतिवादी सं० 2 को ब०हि०ब० खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 10 एम. के. एस ए के खाता सं० 63/58 में से प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।